TENDER SPECIFICATION NO. 03-02/SLDC/LT- 132/
DATE OF OPENING – 14.08.2019 AT 15.30 HRS.

Tender Document Cost ***500/-*** ***+ GST@12%= 560/-***

Tender for Hiring of Maruti Dzire, Hyundai I 20, Hyndai Xcent, Honda Amaze, Toyota Etios, Tata Zest, Ford Aspire and or EQUIVALENT (A.C.) for One year (Preference will be given to auto transmission vehicle)

Issued to

M/s ---

Encl : Documents 10 pages

Executive Engineer (O)
O/o Executive Director (SLDC)
CSPTCL, RAIPUR

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित
(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ भासन का एक उपकम)
CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR
छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर
CIN - U40108CT2003SGC015820
दूरभाष PHONE : 0771- 2574172 , फैक्स FAX NO. 0771-2574174.
Web Site : www.sldccg.com email- csebsldc@sldccg.com

क0 03–02/कय/ 670 रायपुर, दिनांक 24 JUL 2019

//निविदा आमंत्रण सूचना//

1 नग ए.सी.कार श्रेणी अथवा समकक्ष वाहन के अस्थाई अल्पकालीन अनुबंध हेतु

कार्यपालक निदेशक (भार प्रेषण), के लिए वाहन चालक सहित 1 नग ए.सी.कार श्रेणी अथवा समकक्ष वाहन के अस्थाई अल्पकालीन अनुबंध (01 वर्ष) हेतु पंजीकृत/उपयुक्त ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

निविदा प्रपत्र कय करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	निविदाओं को खोलने की निर्धारित तिथि व समय
दिनांक 13.08.2019 समय 17:00 बजे तक	दिनांक 14.08.2019 समय 15:00 बजे	दिनांक 14.08.2019 समय 15:30 बजे

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य भार्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट www.sldccg.com से डाउनलोड की जा सकती है ।

23/07/2019

अधीक्षण अभियंता(एम.ओ.)
कार्या0 कार्यपालक निदेशक (भा.प्रे.)
छ.ग.स्टे0पा0ट्रां0कं0लि0.,रायपुर

C⚡PTCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
CIN - U40108CT2003SGC015820

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित
(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ भासन का एक उपक्रम)
CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR
छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर

दूरभाष PHONE : 0771- 2574172 , फैक्स FAX NO. 0771-2574174.

Web Site : www.sldccg.com email- csebsldc@sldccg.com

NO. 03-02/TR-132/ 671 Raipur, Dated: 24 JUL 2019

प्रति,

मेसर्स------------------

विशयः– **एक** वर्ष की अवधि के लिए ए.सी. कार (Maruti Dzire, Hyundai I 20, Hyndai Xcent, Honda Amaze, Toyota Etios, Tata Zest, Ford Aspire and or EQUIVALENT (A.C.)) किराये पर लेने हेतु निविदा।

महोदय,

कार्यपालक निदेशक (भा.प्रे.) के लिए वाहन चालक सहित 1 नग ए.सी. कार श्रेणी अथवा समकक्ष वाहन के अस्थाई अल्पकालीन अनुबंध (**एक वर्ष**) हेतु पंजीकृत/उपयुक्त ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैंः–

क.	विवरण	संख्या	निविदा का मूल्य	बयाना राशि
1.	**कार्यपालक निदेशक** के लिए वाहन चालक सहित 1 नग ए.सी. कार श्रेणी अथवा समकक्ष वाहन के अस्थाई अल्पकालीन अनुबंध (**एक वर्ष**) हेतु (एक कार श्रेणी निविदा अनुसार)	1 नग	रू. 500/– + 12 प्रतिशत जीएसटी = रू 560/– (वापसी योग्य नहीं)	रू. 4000/– वापसी योग्य
अ	निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि व समय		दिनांक 13.08.2019 समय 17:00 बजे तक	
ब	निविदा प्रस्तुत जमा करने की तिथि व समय		दिनांक 14.08.2019 समय 15:00 बजे तक	
स	निविदा खोलने की तिथि व समय		दिनांक 14.08.2019 समय 15:30 बजे तक	

नियम एवं शर्तेंः–

1. इच्छुक ठेकेदार उपरोक्त निविदा प्रपत्र का क्रय **कार्यपालक निदेशक** (भा.प्रे.), छ.ग. स्टे0पा0ट्रां0कं0लि0.,रायपुर के कार्यालय से उपरोक्त तिथि तक निविदा मूल्य रू. 560/– **(Including GST @ 12%)** तथा डाक से मंगवाये जाने पर रू. 100/– अतिरिक्त राशि (वापसी योग्य नहीं) केवल डी.डी./स्थानीय बैंकर्स चेक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जो **Manager (RAO-HQ), CSPTCL, RAIPUR** को देय हो ।

2. नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी ।

3. निविदा एवं कार्य संबंधी जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

4 उक्त अस्थाई अल्पकालीन अनुबंध हेतु प्रस्तावित ए.सी. कार श्रेणी अथवा समकक्ष वाहन के निविदा खोलने की तिथि पर पांच वर्ष से ज्यादा पुरानी नही होनी चाहिये व वाहन कुल 100000 कि0मी0 से अधिक की दूरी तय न की हो ।

5. निविदाकर्ता को श्रम आयुक्त, छ.ग.शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित दरों पर न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत वाहन चालक को भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

6. निविदाकर्ता का कर्मचारी भविश्य निधि (EPF) एवं कर्मचारी राज्य बीमा आयोग (ESIC) में पंजीयन होना आव यक है तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन एवं अन्य आवश्यक भुगतान जो की वाहन चालक का वेतन वर्तमान दर पर बैंक में हस्तान्तरण कर एवं EPF, ESIC,बोनस इत्यादि का भुगतान करना अनिवार्य होगा। सभी भुगतान बैंक के माध्यम से करना होगा।

7. वाहन चालक के वेतन से ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. एवं बोनस को समय समय पर राज्य भाासन द्वारा अधिसूचित दरो के अनुसार पुर्नरीक्षित किया जायेगा।(संलग्न **परिशिष्ट–4**)

8. आदेशित कार्यावधि के दौरान ईंधन के मूल्य में कमी/बढौतरी होने की स्थिति में पुर्नरीक्षित प्रचलित दर से किया जावेगा। (संलग्न **परिशिष्ट–4**)

9. डाक द्वारा किसी भी प्रकार की देरी बाबत् कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी ।

10. उपरोक्त ठेके में समय–समय पर जी0एस0टी0 के सभी नियम लागू होंगे ।

11. निविदा उपरोक्त नियत तिथि में निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी ।

12. निविदाकार के प्रतिनिधियों को अपना अधिकृत प्रमाण पत्र निविदा खोलने के पूर्व जमा करना आव यक है, अन्यथा निविदा खोलते समय वे कक्ष में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

13. कार्य एवं निविदाकारों की अर्हता हेतु विस्तृत भार्तें निविदा प्रपत्र में उल्लेखित हैं ।

14. निविदा से संबंधित किसी भी परिवर्तन की स्थिति में विभागीय वेबसाईट www.sldccg.com से सूचना दी जायेगी।

कार्यपालन अभियंता (कार्या.)
कार्या0 कार्यपालक **निदेशक** (भा.प्रे.)
छ.ग.स्टे0पा0ट्रां0कं0लि0.,रायपुर

प्रतिलिपिः–

1. निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.sldccg.com में उपलब्ध ।
2. सूचना फलक ।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेशण कंपनी लिमिटेड, रायपुर को एक नग ए.सी. (Maruti Dzire, Hyundai I 20, Hyndai Xcent, Honda Amaze, Toyota Etios, Tata Zest, Ford Aspire and or EQUIVALENT (A.C.))वाहन की एक वर्ष के लिये आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिकों एवं ट्रेवलिंग एजेंसी से बिन्दुवार मुहरबंद भावपत्र केवल परिशिष्ट–तीन के साथ में दिनांक **14.08.2019** तक आमंत्रित किये जाते है। सामान्य शर्तें परिशिष्ट दो में उल्लेखित है ।

नियम एवं शर्तें :–

1. निविदा दस्तावेज दिनांक **13.08.2019** तक संध्या **5.00 बजे** तक कार्यालयीन दिवसों में विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे एवं अगले कार्य दिवस अर्थात् दिनांक **14.08.2019** को सायं **3.30 बजे** अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोले जायेंगे । निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं ।

2. वाहन का उपयोग राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा रायपुर शहर अथवा छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं पर भी किया जावेगा । वाहन का उपयोग वाहन लगाने की तिथि अथवा अनुबंध की तिथि, से एक वर्ष के लिये किया जावेगा।

3. कंपनी के हित मे किसी भी कोटेशन को या सभी कोटेशन को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है, चाहे वह न्यूनतम दर हो अथवा न हो । उक्त हेतु कारण बताना कंपनी के लिये आवश्यक नहीं होगा ।

4. वाहन किराये पर लिये जाने की दरें एवं वाहन का प्रकार, मेक, माडल, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन का किराया प्रतिमाह 1000 कि.मी. तक तथा 1000 कि.मी. से अधिक एवं 1000 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर निर्धारित परिशिष्ट –तीन में ही भरें ।

5. जिन वाहन मालिकों/ठेकेदारों द्वारा नवीन वाहन खरीदकर किराये हेतु कंपनी में लगाना है वह कृपया ***परिशिष्ठ–तीन*** मे नवीन वाहन खरीदना स्पष्टतः दर्शायें तथा इस कार्यालय में किराये हेतु प्रस्तुत कोटशन के साथ कंपनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा खरीदने का साक्ष्य संलग्न करें। वाहन स्वामी रजिस्ट्रेशन (टेक्सी कोटा मे) एवं इन्श्योरेंस की फोटोकापी अपने कोटेशन के साथ नस्ती करें ।

6.(अ) निविदा के साथ वाहन के लिए अमानत राशि (EMD)के रूप में 4000 /–(चार हजार रू.) मात्र का मांग–पत्र अथवा पे–आर्डर जो कि **Manager (RAO-HQ), CSPTCL, RAIPUR** के पक्ष मे देय हो, पृथक से लिफाफे में संलग्न करना आवश्यक है। अमानत राशि(EMD) के अभाव में कोटेशन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।

(ब) निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृश्ठ पर निविदाकर्ता अपने हस्ताक्षर कर एक अन्य लिफाफे में परिशिष्ट तीन के साथ विधिवत भरकर अमानत राशि (EMD) तथा दस्तावेजों के पृथक–पृथक लिफाफे को एक तीसरे लिफाफे में जिसके उपरी भाग पर निविदा कमांक एवं निविदा खुलने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में नियत तिथि अर्थात् **14-08-2019** सायं **3.00** बजे तक जमा कर सकते है ।

(स) निविदा खोलने के उपरांत न्यूनतम दर प्रदाता वाहन मालिक को 07 दिवस के भीतर वाहन को निरीक्षण हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । निरीक्षणोपरांत स्थिति संतोशजनक पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किया जावेगा । वाहन मालिक/ठेकेदार को किराये हेतु कंपनी से अनुबंध करने अथवा गाड़ी लगाने से पूर्व सालाना देय राशि का या आदेशित राशि का 10 प्रतिशत राशि नगद या डीडी/बैंकर्स चेक सुरक्षा निधि के रूप में (जिस पर ब्याज देय नहीं होगा) कंपनी के खाते में जमा करना होगा जो अनुबंध अवधि पूर्ण होने के उपरांत समायोजन कर वापसी के योग्य होगी । अनुबंध करने के दौरान वाहन मालिक एवं ठेकेदार द्वारा टेक्सी कोटा के रजिस्ट्रेशन एवं इन्श्योरेंस की मूलप्रति का इस कार्यालय में अवलोकन कराने हेतु छायाप्रति अनुबंध के साथ नस्ती करें। सुरक्षा निधि वाहन मालिक/ठेकेदार द्वारा आवेदन करने पर पहले तीन बिलो से समान किस्तो में भी काटी जा सकती है।

(द) वाहन मालिक/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कोटेशन पर अपना सही पता टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर स्पष्ट लिखें ताकि कंपनी द्वारा आपसे पत्राचार किया जा सके। गलत अथवा अपूर्ण पता होने के कारण भेजे गये पत्र एवं सूचना न मिलने पर कंपनी उत्तरदायी नही रहेगा ।

7. वाहन किराये पर लेने संबंधी अन्य सामान्य शर्तें **परिशिष्ठ –दो** मे संलग्न है।

8. आदेशित कार्यावधि के दौरान ईंधन के मूल्य में कमी/बढ़ौतरी होने की स्थिति में दर को भी पुनरीक्षित किया जा सकेगा, जिसका सर्वाधिकार कंपनी के पास सुरक्षित होगा।

9. कंपनी को यह अधिकार होगा किसी भी परिस्थिति मे निविदा खोलने संबंधी कार्यवाही आवश्यकतानुसार रद्द (निरस्त) की जा सकती है एवं कंपनी द्वारा इस पर पुनः कार्यवाही की जा सकती है ।

10. संचार व्यवस्था मे अपरिहार्य कारणों से हुए विलंब का कंपनी उत्तरदायी नही होगा ।

11. वाहन चालक द्वारा कार्य पर अनुपस्थित रहने की दशा में प्रतिदिन 300/– की कटौती बिल में से की जावेगी व कंपनी इस बात के लिये स्वतंत्र रहेगा कि वाहन किसी सक्षम वाहन चालक जिसके पास वैध ड्राईविंग लायसेंस हो, से वाहन चलवा सके ।

12. निविदाकर्ता के लिये यह आवश्यक होगा कि वह निविदा के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर (सील सहित) कर निविदा के साथ इस कार्यालय से जारी मूल प्रपत्र में ही भरकर जमा करें ।

13. वाहन स्वयं निविदाकर्ता का नही होने की स्थिति में वास्तविक वाहन मालिक द्वारा "पावर आफ अटार्नी" द्वारा वाहन चलाने हेतु अधिकृत किया जाना अनिवार्य है अन्यथा वाहन सेवा मे नही लिया जावेगा एवं निविदा रद्द कर दी जावेगी तथा जमा की गई सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी।

14. अनुबंधित वाहन को एक माह की सूचना पश्चात अनुबंध समाप्त करने हेतु कंपनी एवं वाहन मालिक पूर्णरूपेण सक्षम है, जिसके लिये किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नही होगा।

15. सभी अन्य लगने वाले कर दरों में भाामिल होंगें तथा अलग से कोई भुगतान देय नही होगा साथ ही इसमें परिवर्तन के लिये कोई अतिरिक्त व्यय देय नही होगा। GST को अलग से दर्शित करें। GST का शासन के नियमानुसार पालन किया जायेगा ।

16. नियमानुसार सभी देयकों से आयकर की कटौती 2.00 प्रतिशत की दर से की जायेगी, जिसे वित्तीय वर्षान्त पश्चात अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त कटौती का टी.डी.एस. प्रपत्र संबंधित वित्त विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

17. वाहन छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी परिवहन विभाग मे पंजीकृत होना अनिवार्य है।

भवदीय,

कार्यपालन अभियंता (कार्या.)
कार्या. कार्यपालक निदेशक (भार प्रेषण)
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या.,रायपुर

परिषिष्ट–दो

सामान्य शर्ते

(1) वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(2) वाहन के डीजल/पेट्रोल/आईल एवं चालक का वेतन तथा भत्ते के साथ ही साथ वाहन के मरम्मत में होने वाले संपूर्ण खर्च वाहन मालिक के द्वारा वहन किया जावेगा, इसके अलावा वाहन के कम्प्रहेंसिव बीमा, परमिट, रोड टैक्स, इत्यादि खर्च वाहन मालिक द्वारा वहन किया जावेगा। जीएसटी सर्कुलर क्रं. 06.–01/जीएम/वित्त/1511 रायपुर दिनांक 01.09.2017 के अनुसार अगर फ्युल चार्ज का भुगतान कंपनी करती है तो जीएसटी 18 प्रतिशत लागू होगा या वाहन मालिक द्वारा फ्युल चार्ज का भुगतान करने पर जीएसटी 5 प्रतिशत लागू होगा या समय–समय पर शासन दवारा घोषित नियमानुसार। जीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में चालान की कापी लगानी होगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर देयक में अंकित करना है।

(3) आदेशित राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में ली जायेगी जो एफ.डी.आर जो कि **Manager (RAO-HQ), CSPTCL, RAIPUR** रायपुर के नाम से देय होगा या बैंक गांरटी रू. 250/– का स्टॉप पेपर में सी.एस.पी.टी.सी.एल के फर्म के अनुसार देय होगा जो अनुबंध अवधि पूर्ण होने के पश्चात कोई बकाया नही होने पर (No Laibility) वापसी योग्य होगी। वाहन मालिक/ठेकेदार को किराये हेतु कंपनी से अनुबंध करने अथवा गाड़ी लगाने से पूर्व सालाना देय राशि का या आदेशित राशि का 10 प्रतिशत राशि डीडी/बैंकर्स चेक सुरक्षा निधि के रूप में (जिस पर ब्याज देय नहीं होगा) कंपनी के खाते में जमा करना होगा जो अनुबंध अवधि पूर्ण होने के उपरांत समायोजन कर वापसी के योग्य होगी । अनुबंध करने के दौरान वाहन मालिक एवं ठेकेदार द्वारा टेक्सी कोटा के रजिस्ट्रेशन एवं इन्श्योरेंस की मूलप्रति का इस कार्यालय में अवलोकन कराने हेतु छायाप्रति अनुबंध के साथ नस्ती करें। सुरक्षा निधि वाहन मालिक/ठेकेदार द्वारा आवेदन करने पर पहले तीन बिलो से समान किस्तो में भी काटी जा सकती है। वाहन की दरें चालक, पेट्रोल, आयल एवं अन्य व्ययों सहित दी जानी चाहिए

(4) वाहन किराये पर लेने के पश्चात वाहन या वाहन चालक के साथ किसी प्रकार की दुर्धटना या क्षति के लिये कंपनी जिम्मेदार नही होगा । वाहन मरम्मत की संपूर्ण भार, वाहन मालिक को वहन करना होगा । जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा देय नहीं होगी ।

(5) वाहन चालक का पूर्ण परिचय पत्र/फोटो एवं पूर्ण पता देना होगा, वाहन के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात ही अनुबंधित किया जावेगा।

(6) किसी भी माह मे वाहन के उपयोग मे कुल 24 घंटे से अधिक समय तक व्यवधान नही होना चाहिए। वाहन को 24 घंटे से अधिक खराब रहने की स्थिति मे वाहन मालिक को दूसरे समकक्ष वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ।

(7) वाहन दुर्घटना की स्थिति में भी समकक्ष वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा वाहन अनुपलब्ध माना जायेगा एवं अनुपलब्धता के नियमानुसार कटौती की जायेगी।

(8) वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था नही होने पर एवं किसी भी माह मे वाहन के उपयोग मे कुल 24 घंटे से अधिक व्यवधान की स्थिति मे वाहन के मासिक देयक से अनुपस्थित अवधि के लिए स्वीकृत समानुपाती दर पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना सहित कटौती की जाएगी ।

(9) वाहन 24 घंटे कंपनी की सेवा मे ही रहेगा तथा नियंत्रक अधिकारी के आदेशानुसार पार्किंग में रहेगा।

(10) कंपनी को यह अधिकार होगा कि आपात स्थिति मे कंपनी के वाहन चालक से वाहन चलवा सके।

(11) चालक की अनुपस्थिति में वाहन को अनुपलब्ध माना जावेगा तथा कण्डिका (8) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(12) वाहन के मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति मे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नही होगा।

(13) वाहन किराये का बिल का भुगतान, बिल जमा करने के 30 दिन के अन्दर सामान्यतः कर दिया जाता है। अपरिहार्य विलंब के लिए कंपनी उत्तरदायी नही होगा तथा कोई अतिरिक्त शुल्क मान्य नही होगा।

(14) वाहन मालिक द्वारा वाहन चालक को पर्याप्त राशि ईंधन एवं आपात् कार्य हेतु देय होगी। वाहन में समय पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी ।

(15) वाहन किराये पर लेने हेतु अनुबंध पर लगने वाले टिकटों का मूल्य वाहन मालिक को वहन करना होगा।

(16) रास्ते मे पड़ने वाले टोल टेक्स/मॉल या अन्य स्थानों पर लगने वाले पार्किंग शुल्क का भुगतान कंपनी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(17) असंतोषजनक सेवा के परिपेक्ष्य में कांट्रेक्ट का रद्द करने का अधिकार कंपनी को होगा।

(18) वाहन का चुनाव एवं निरस्तता के लिये कंपनी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

(19) वाहन चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना चाहिए एवं वाहन चालक को मृदुभाषी तथा अच्छा व्यवहार/आचरण का होना चाहिए । इस संबंध मे शिकायत प्राप्त होने पर वाहन मालिक को परिवहन चालक बदलकर अच्छे वाहन चालक को नियुक्त करना होगा। चालक के वैध लाइसेन्स की छायाप्रति इस कार्यालय में जमा करानी होगी।

(20) प्रपत्र`में भरी जाने वाली दरों में सभी करों को समाहित करें (सेवा कर छोडकर) । इस मद में शासन द्वारा करों में परिवर्तन के लिये कंपनी किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा ।

(21) वाहन चालक को सामान्यतः प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक कर्तव्य निर्वहन करना होगा । आवश्यकता होने पर उक्त समय के अतिरिक्त नियंत्रक अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा ।

(22) किसी भी माह में वाहन सिर्फ एक दिवस रखरखाव हेतु दिया जावेगा, रखरखाव के लिए वाहन किस दिन दिया जाना है, इसका निर्णय नियंत्रक/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जावेगा ।

(23) वाहन चालकों को ड्यूटी पर गणवेष (सफेद) में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं वाहन चालकों के पास मोबाईल फोन भी उपलब्ध रहना चाहिए इस मद में होने वाले खर्च को वाहन मालिक प्रस्तुत दर में समाहित करेंगे । इस मद में कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा ।

(24) वाहन केवल निर्धारित ईंधन पर चलाना स्वीकार किया जायेगा। वाहन का चालन अन्य किसी भी वैकल्पिक ईंधन पर स्वीकार नही किया जायेगा।

(25) वाहन किराये पर लेने के पष्चात वाहन या वाहन चालक के साथ किसी प्रकार की दुर्धटना या क्षति के लिये कंपनी जिम्मेदार नही होगा। वाहन मरम्मत की संपूर्ण भार, वाहन मालिक को वहन करना होगा। जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा देय नहीं होगी।

(26) वाहन अतिरिक्त चालन का भुगतान प्रत्येक तीन माह के पश्चात सक्षम अधिकारी (Next higher authority) के अनुमोदन के पश्चात दिया जायेगा।

(27) वाहन कंपनी में लगाये जाने के उपरांत पेट्रोल/डीजल/आईल आदि की दर परिवर्तन में होने पर वाहन के रेट को कटाने/बढ़ाने का अधिकार कंपनी को रहेगा।

(28) अनुबंधित अवधि के दौरान वाहन पर "ON C.S.P.T.C.L. DUTY" अंकित करवाया जाये एवं अनुबंधित अवधि उपरांत उक्त शब्दों को हटाया जाना अनिवार्य होगा।

कार्यपालन अभियंता (कार्या.)
कार्या0 कार्यपालक निदेशक (भार प्रेषण)
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., रायपुर

परिशिष्ट –तीन

वाहन किराये पर दिये जाने हेतु दरें

निविदा कमांक : 03–02/SLDC/TR-132/ /रायपुर, दिनांक

क्र	वाहन का विवरण				वाहन का किराया		
	वाहन का प्रकार	वाहन का मेक	माडल	पंजीयन कमांक	1000 कि.मी. चालन के लिए प्रतिमाह दर रूपये	1000 कि.मी. से अधिक चालन के लिये दर रूपये प्रति किलोमीटर	1000 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर रूपये प्रति कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 No. Maruti Dzire, Hyundai I 20, Hyndai Xcent, Honda Amaze, Toyota Etios, Tata Zest, Ford Aspire or EQUIVALENT (A.C.)						

Please give the following information also

S.N.		
01	**Bank Account no**	
02	**Name of Account Holder**	
03	**Bank MICR code**	
04	**Name of bank**	
05	**Address Of bank**	
06	**City on Bank**	
07	**Bank Branch**	
08	**Bank IFSC**	
09	**PAN no. (copy enclosed)**	
10	**Mobile no.**	
11	**GST no. (copy enclosed)**	

GST का भुगतान नियमानुसार CSPTCL के द्वारा किया जावेगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पता
कार्यालय –

निवास

फोन कार्यालय –

निवास –

मोबाईल –

परिशिष्ट-चार

O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 5706
Date 16 MAR 2018
AGM(IT) C/PHCL
SE (O)/SE
EE
Section

CHHATTISGARH STATE POWER HOLDING CO.LTD

(A GOVT OF C.G. UNDERTAKING)
CIN No. U65993CT2008SGC020995

ORDER

No.01-02/Car/Revision/ 954 — Raipur, dtd. 14 MAR 2018

In supersession of C.S. Power Holding Company Ltd. order No. 01-02/Car/Revision/514 dated 08.02.2018 and all other earlier orders on the subject, Chhattisgarh State Power Holding Company Ltd. is pleased to revise the ceiling of hiring charges of Car category vehicle with one driver as follows:-

SN	Particulars	Ceiling Rate for 1000 km Run in a month
1	Category-I car	Rs.31,700/- per month
2	Category-II car	Rs. 28,200/- per month
3	Category-III car	Rs. 26,300/- per month
4	Additional charges for excess run over and above 1000 km run for :- (iv) Category-I car (v) Category-II car (vi) Category-III car	 Rs 8.95 per Km Rs 8.45 per Km Rs 7.80 per Km
5	Deduction towards less run below 1000 km run for :- (iv) Category-I car (v) Category-II car (vi) Category-III car	 Rs 6.25 per Km Rs 5.85 per Km Rs 6.35 per Km

2 The above rates are inclusive of cost of fuel, lubricants, wages of driver, vehicle maintenance etc. but are exclusive of GST. The GST will be paid extra.

3 (i) Vehicle will be hired for a period of one to three years at a time as per requirement.

(ii) Vehicle to be hired should meet the following criteria-

(a) Vehicle not older than 3 years having total run not exceeding 60000 Km will be hired for a period 3 years.
(b) Vehicle not older than 4 years having total run not exceeding 80000 Km will be hired for a period 2 years.
(c) Vehicle not older than 5 years having total run not exceeding 100000 Km will be hired for a period 1 year.

part- quarter is equal to or more than 45 days, the average fuel price posted for the quarter shall be considered for computation of claims for such part quarter.

(B) Revision on account of revision in minimum wage of driver:

Additional payment due to revision in minimum wages

$$= \frac{(L2 - L1) \times \text{Days of run as per contract}}{\text{Number of days in the month}}$$

Where:- L1 = Monthly minimum notified wage of driver on the date of opening of tender.

L2 = Monthly minimum notified wage of driver of the month for which payment is to be made.

(C) Revision on account of EPF, ESIC and Bonus:

$$\text{Additional payment} = \frac{(L2 - L1) \times 0.2624 \times \text{Days of run as per contract}}{\text{Number of days in the month}}$$

Where:- L1 = Monthly minimum notified wage of driver on the date of opening of tender

L2 = Monthly minimum notified wage of driver of the month for which payment is to be made.

The Factor 0.2624 is based on the current rates of EPF @ 13.16%, ESIC @ 4.75% and Bonus @ 8.33%, totaling to 26.24%. In case any of the rates is revised the factor will get changed accordingly.

9 The proposal for providing option to the officers of the rank of Additional Chief Engineers posted in head office who do not have field duty for official vehicle vis-à-vis Transport Allowance in lieu of official vehicle was under consideration. The Government of India, based on recommendation of the Seventh Pay Commission has allowed Transport Allowance @ Rs.15,750/- per month plus Dearness Allowance thereon to such officers drawing Pay Level 14 & above who are entitled to use official vehicle. It has, therefore, been decided that the officers in the rank of Additional Chief Engineers posted in head office will have option of using Power Company's vehicle as per their entitlement or draw transport allowance @ Rs. 15,000/- per month plus Dearness Allowance thereon.

Encl: Annexure-I

GENERAL MANAGER (HR)
CSPHCL:RAIPUR

Copy forwarded to-

1. The Staff officer attached to....................
2. The Special Secretary (Energy), Govt. of CG, Naya Raipur
3. The Executive Director ....
4. The Chief Engineer (EITC), CSPDCL, Raipur — pls upload in Company's website

5. The Addl. Chief Engineer / AGM ....
6. The Chief Vigilance Officer...................................
7. The Suptd. Engineer / DGM ....
8. The Executive Engineer / Manager/.........................
9. The Sr. Accounts officer................................
10. The Asstt. Manager/R.A.O./A.O. ....
11. The Library officer, CSPDCL, Raipur

01-02/cas/954 dt 14 MAR 2018

ANNEXURE-I

LIST OF THE NAXAL AFFECTED AREAS (2016-17)

SN	DISTRICT	NAME(S) OF NAXAL AFFECTED BLOCK
01	BASTAR-JAGDALPUR	JAGDALPUR, BASTAR, LOHANDIGUDA, TOKAPAL, DARBHA, AND BASTANAR
02	KONDAGAON	KONDAGAON, KESHKAL, FARASGAON, MAKADI, AND BADE RAJPUR
03	NARAYANPUR	NARAYANPUR, AND ORCHHA
04	DANTEWARA	DANTEWARA, GEEDAM, KUA KONDA AND KATE KALYAN
05	SUKMA	SUKMA, CHHINDGARH, AND KONTA
06	KANKER	KANKER, CHARAMA, NARHARPUR, BHANUPRATAPPUR, DURGUKONDAL, ANTAGARH, AND KOYALIBEDA
07	BIJAPUR	BIJAPUR, USUR, BHOPALPATANAM AND BHAIRAMGARH
08	RAJNANDGAON	MANPUR, MOHLA, AMBAGARH CHOWKI, CHHURIYA, DONGARGARH, CHHUI KHADAN AND KHAIRAGARH
09	BALOD	BALOD, DONDI LOHARA, GURUR AND DONDI
10	KABIRDHAM	SA-LOHARA, BODLA, AND PANDARIYA
11	BALRAMPUR	BALRAMPUR, RAMCHANDRAPUR, WADRAF NAGAR, RAJPUR, SHANKARGARH AND KUSMI
12	SURAJPUR	PRATAPPUR AND ODAGI
13	JASHPUR	JASHPUR, MANORA, DULDULA, FARSABAHAR, AND BAGICHA
14	KORIA	BAIKUNTHPUR, KHADGAWA, SONHATT, MANENDRAGARH, AND JANAKPUR
15	RAIGARH	SARANGARH AND BARAMKELA
16	MAHASAMUND	SARAIPALI, AND BAGBAHARA (PARTLY)
17	DHAMTARI	NAGRI AND MAGARLOAD
18	GARIYABAND	GARIYABAND, CHHURA, MAINPUR, AND DEVBHOG

-5-